संख्या–1822 / नौ–7–2023–01(बजट) / 2021

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–मुरादाबाद, कानुपर देहात, बलरामपुर, लखनऊ, उन्नाव तथा जनपद–बिजनौर।

नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊःदिनांक 08 फरवरी, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–2018, 2019–20 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशु शेल्टर होम / कांजी हाउस के निर्माण हेतु निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–158 / टी0ए0सी0 / 2023–24,दिनांक 21.11.2023, पत्र संख्याः32 / एल0बी0सी0–का0दे0 / 2022–2023 दिनांक 08.12.2023, पत्र संख्या–203 / एल0बी0सी0 / का0गौ0–उप0वृद्धि / 2023–24 दिनांक 20.12.2023, पत्र संख्या–372 / टी0ए0सी0 / समयवृद्धि / 2023, दिनांक 21.12.2023, पत्र संख्या–1222 / 21–एल0बी0सी0 / 2023 दिनांक 02.01.2024 तथा पत्र संख्या–1931 / 21–एल0बी0सी0–2024, दिनांक 16.01.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसमें संबंधित निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–2018, 2019–20 तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशु शेल्टर होम / कांजी हाउस के निर्माण हेतु 06 निकायो को विभिन्न शासनादेशों द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2024 तक इस शर्त के साथ बढ़ायी जाती है कि अवमुक्त की गयी धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में सम्बंधित निकाय द्वारा जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निकाय द्वारा इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन तथा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा,ताकि पुनः उपयोगिता अवधि बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। यदि बढ़ायी गयी उपयोगिता अवधि में अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग नहीं किया जायेगा, तो संबंधित नगर निकायों के जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी। निकायों को अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण तालिका में निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक, जिसके द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम/द्वितीय के रूप में अवमुक्त धनराशि।	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1.	मुरादाबाद	नगर पंचायत अगवानपुर	शा0स0-2432/नौ-8-2019-02केपीए(बजट)/2019, दिनांक 11.10.2019	76.00
			शा0स0-18/2023/594/026-46-जी/2022, दिनांक 30.03.2023	76.00
2.	कानुपर देहात	नगर पंचायत अमरौधा	शा0स0-28/2022/1498/003-46-जी/2022, दिनांक 15.09.2022	82.94
3.	लखनऊ	नगर पंचायत बक्शी का तालाब	शा0स0-15/2022/1485/016-46-जी/2022, दिनांक 05.09.2022	79.30
4.	बलरामपुर,	नगर पंचायत पचपेड़वा	शा0स0-18/2023/594/026-46-जी/2022, दिनांक 30.03.2023	55.63
5.	उन्नाव	नगर पंचायत कुरसठ	शा0स0-05/2023/491/001-9-7002-002-2-2022, दिनांक 03.03.2023	35.00
6.	बिजनौर	नगर पालिका परिषद चान्दपुर	शा0स0-531/नौ-8-2018-21ज/2016, दिनांक 23.03.2018	106.64

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 08-02-2024 12:53:48
Reason: Approved
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्याः1822(।)/नौ–7–2023,तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2– सम्बंधित मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश ।

3– सम्बंधित कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।

4– निदेशक,स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

5– निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ0प्र0 इलाहाबाद।

6– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत अगवानपुर जनपद–मुरादाबाद, नगर पंचायत अमरौधा जनपद–कानपुर देहात, नगर पंचायत बक्शी का तालाब जनपद–लखनऊ, नगर पंचायत पचपेड़वा जनपद–बलरामपुर, नगर पंचायत कुरसठ जनपद–उन्नाव एवं नगर पालिका परिषद चान्दपुर जनपद–बिजनौर।

7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–9,

8– वित्त (आय–व्ययक)अनुभाग–1

9– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर,नगर विकास विभाग,उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

Digitally Signed by कल्यान बनर्जी
Date: 08-02-2024 12:52:42
Reason: Approved

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।